झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज, बरियातु, राँची, डॉ. जगन्नाथ मिश्र इंटर महाविद्यालय, चैनपुर, पलामू एवं रूद्र प्रताप सारंगी इंटर महाविद्यालय, चक्रधरपुर, पं.सिंहभूम को प्रदत्त स्थायी प्रस्वीकृति (मान्यता) रद्द होने की स्थिति में उन महाविद्यालयों में नामांकन नहीं लेने के संबंध में सर्व साधारण के लिए आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 57/2019

(1) पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज, बरियातु, राँची को कला संकाय में प्रदत्त स्थायी प्रस्वीकृति को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पत्रांक 2063 दिनांक 02.08.19 द्वारा रद्द कर दी गई है।

(2) डॉ. जगन्नाथ मिश्र इंटर महाविद्यालय, चैनपुर, पलामू कला संकाय में प्रदत्त स्थायी प्रस्वीकृति को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पत्रांक 1896 दिनांक 17.07.19 द्वारा रद्द कर दी गई है।

(3) रूद्र प्रताप सारंगी इंटर महाविद्यालय, चक्रधरपुर, प.सिंहभूम कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में प्रदत्त स्थायी प्रस्वीकृति को सरकार के संयुक्त सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक 2185 दिनांक 20.08.19 द्वारा रद्द कर दी गई है।

इन महाविद्यालयों की स्थायी प्रस्वीकृति रद्दकरण के फलस्वरूप एतद् द्वारा संबंधितों/छात्रों/अभिभावकों एवं सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त इंटर महाविद्यालयों की स्थायी प्रस्वीकृति रद्द होने की स्थिति में आगामी सत्र 2020-22 से संबंधित इंटर महाविद्यालयों में नामांकन नहीं लेंगे। इस निदेश के पश्चात् भी अगर छात्रों का नामांकन लिया जाता है तो यह उनकी निजी जिम्मेवारी होगी। परिषद् वैसे छात्रों की परीक्षा लेने के लिए उतरदायी नहीं होगा।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./-
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/महा.स्था./4703/10-Secy/404/19.
Dt. 22.08.2019
D.O.P : 23.08.2019